न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–121/2019

दायर दिनांकः 30.08.2019

GCMS NO:- 2019/00530

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. शांति देवी पत्नी रतिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. बुद्विप्रकाश पुत्र रतिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. विजेन्द्र पुत्ररतिराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. पांचूलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. मृतक द्वारा कायम मुकाम–

2/1. भंवरलाल पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2/2. बाबूलाल पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2/3. रामप्रसाद पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2/4. कमलेश पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2/5. संतरा पुत्री पांचूलाल हाल पत्नी रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/6. कमला पुत्री पांचूलाल हाल पत्नी कजोड जाति बैरवा निवासी बीजलबा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/7. राजी पुत्री पांचूलाल हाल पत्नी जयराम जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/8. मीरा पुत्रीपांचूलाल हाल पत्नी हरिराम जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

3. भोली बाई उर्फ गोपाली पत्नीपांचूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मंगला पुत्र सोबक्ष जाति बैरवा हाल निवासी रेतिया चौकी कोटा।
5. दयाल पुत्र सोबक्ष जाति बैरवा हाल निवासी रेतिया चौकी कोटा।
6. रामदेव पुत्र सुखाजाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. गोपी पुत्रसुखा जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. प्रहलाद पुत्रसुखा जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गंभीरा पटवार मण्डल गंभीरा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 2305 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा संख्या 2306 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि खसरा संख्या 2302 के खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3, खसरा संख्या 2314 के खातेदार प्रतिवादी सख्या 4 लगायत 8 है जो भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के बाहमी विभाजन में हिस्से में आई हुई है। यह कि वादीगण की भूमि आने जाने का [illegible] गंभीरा से समीधी जाने वाले रोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

फटकर खसरा संख्या 2302 एवं 2314 के बीच की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 2305 तक पहुचता है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादीगण को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 3 लगायत 8 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक याचना स्वीकार फरमा दी जावे। प्रतिवादीगण 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्व दावे को अबेट मानते हुए वाद खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प गंभीरा दिनांक 28.06.2018 के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया गया था। जिसके विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की। दिनांक 12.06.2019 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त को निरस्त कर दिया गया है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादीगण द्वारा खसरा संख्या 2305 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के खेत पर जाने हेतु नक्शे में रास्ते की तरमीम हो रही है खसरा संख्या 2643 / 2314 गै0 मु0 रास्ता व 2642 / 2302 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है मौके पर खसरा संख्या 2642 / 2302 गै0 मु0 रास्ता बन्द है जबकि खसरा संख्या 2643 / 2314 रास्ता चालू है। वादीगण को खसरा संख्या 2305 पर आने जाने के लिए खसरा संख्या 2642 / 2302 गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.0243 है0 बहाल किया जाना है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्ज किया गया है। इस तरमीम शुद्वा रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब दावा पत्र, निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा, निर्णयन्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में वादीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम गंभीरा पटवार मण्डल गंभीरा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 2305 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा संख्या 2306 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 2642 / 2302 गै0 मु0 तरमीम शुद्वा रास्ता रकबा 0.0243 है0 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे नक्शा परिशिष्ट क में लाल स्याही से दर्शाया गया है।नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested